



# छत्तीसगढ़ विधान सभा

(चतुर्थ)

फरवरी—मार्च, 2017 सत्र

वर्ष 2017—2018 के लिये अनुदानों की मांगों

पर

## कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या — 7, 22, 69, 81, 11,

मांग संख्या — 24, 67, 76, 21, 36,

मांग संख्या — 13, 14, 16, 54, 23, 40, 45, 75 तथा 51

से संबंधित

भाग - दो

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर

क्र	मान. मंत्री का नाम	मांग संख्या	विवरण
1.	श्री अमर अग्रवाल	7	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय
		22	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग—नगरीय निकाय
		69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग—नगरीय कल्याण
		81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता
		11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय
2.	श्री राजेश मूणत	24	लोक निर्माण कार्य – सड़कें और पुल
		67	लोक निर्माण कार्य – भवन
		76	लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं
		21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय
		36	परिवहन
3.	श्री बृजमोहन अग्रवाल	13	कृषि
		14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय
		16	मछलीपालन
		54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय
		23	जल संसाधन विभाग
		40	आयाकट विभाग से संबंधित व्यय
		45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य
		75	जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं
		51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व

इस संकलन में छत्तीसगढ़ विधान सभा के फरवरी—मार्च, 2017 सत्र में प्रस्तुत वर्ष 2017—2018 के आय—व्ययक के संबंध में उपर्युक्त मांग संख्याओं से संबंधित माननीय सदस्यों से प्राप्त कटौती प्रस्तावों की ग्राह्य सूचनाओं को सम्मिलित किया गया है, कटौती प्रस्तावों में आंशिक रूप में कुछ आवश्यक सुधार किये गये हैं।

देवेन्द्र वर्मा,  
प्रमुख सचिव.

वर्ष 2017–2018 के लिये अनुदान की मांगों पर कटौती प्रस्ताव भाग – दो में सम्मिलित मांग संख्याओं पर निम्नलिखित माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं :-

1. श्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष
  2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य
  3. श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य
  4. श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य
  5. डॉ. (श्रीमती) रेणू जोगी, सदस्य
  6. श्री भोलाराम साहू, सदस्य
  7. श्री अरूण वोरा, सदस्य
  8. श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य
  9. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य
  10. श्री अमरजीत भगत, सदस्य
  11. श्री कवासी लखमा, सदस्य
  12. श्री सियाराम कौशिक, सदस्य
  13. श्री राजेन्द्र कुमार राय, सदस्य
  14. श्री गिरवर जंघेल, सदस्य
  15. श्री लालजीत सिंह राठिया, सदस्य
  16. श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य
  17. श्रीमती अनिला भेंडिया, सदस्य
  18. श्री श्यामलाल कंवर, सदस्य
  19. श्री चिंतामणी महाराज, सदस्य
  20. श्री बृहस्पत सिंह, सदस्य
  21. श्री मोहन मरकाम, सदस्य
  22. श्री उमेश पटेल, सदस्य
  23. श्री चुन्नीलाल साहू(अकलतरा), सदस्य
  24. श्री संतराम नेताम, सदस्य
  25. श्री भैयाराम सिन्हा, सदस्य
  26. श्री जनकराम वर्मा, सदस्य
  27. श्री दीपक बैज, सदस्य
  28. श्री केशव चन्द्रा, सदस्य
  29. श्री दिलीप लहरिया, सदस्य
  30. श्रीमती देवती कर्मा, सदस्य
  31. श्री दलेश्वर साहू, सदस्य
  32. डॉ. प्रीतमराम, सदस्य
  33. श्री शंकर ध्रुवा, सदस्य
  34. डॉ. विमल चोपड़ा, सदस्य
  35. श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, सदस्य
-

## मांग संख्या— 7

### वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि

रूपये 4,08,50,89,000

### बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 5

1. श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश में अवैध शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश में शराब बंदी किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (3) पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क में वरिष्ठ नागरिकों एवं महिलाओं को छूट देने का उल्लेख नहीं है।
- (4) प्रदेश में दैनिक उपयोग की वस्तुओं में कर छूट का प्रावधान नहीं है।

2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश में शराब बंदी किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (2) पेट्रोल एवं डीजल में लगाए गए वेट दरों को कम करने का उल्लेख नहीं है।
- (3) अवैध शराब की बिक्री की रोकथाम का उल्लेख नहीं है।

3. श्री कवासी लखमा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

आबकारी नीतियों में संशोधन से प्रदेश वासियों में आक्रोश व्याप्त है।

4. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में पूर्ण शराब बंदी किये जाने का उल्लेख नहीं है।

5. श्री केशव चन्द्रा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में पूर्ण शराब बंदी किये जाने का उल्लेख नहीं है।

6. श्री दीपक बैज, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में पूर्ण शराब बंदी लागू किये जाने का उल्लेख नहीं है।

7. श्री जनकराम वर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

अवैध शराब बिक्री पर नियंत्रण नहीं है।

8. श्री गिरवर जंघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश में पूर्ण शराब बंदी तथा अवैध बिक्री को रोकने में सरकार असफल रही है।
- (2) डीजल एवं पेट्रोल में वेट कटौती का प्रावधान नहीं किया गया है।
- (3) प्रदेश में शराब बिक्री को रोकने की नीति बनाने का उल्लेख नहीं है।

9. श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश में शराब बंदी लागू किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश में शराब दुकानों के निर्माण में किस मद की राशि लग रही है इसके संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

10. श्री श्यामलाल कंवर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में शराब बंदी की घोषणा का उल्लेख नहीं है।

11. श्री चिंतामणी महाराज, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश में शराब बंदी की घोषणा का उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश में अवैध शराब बिक्री पर नियंत्रण का उल्लेख नहीं है।

12. श्री मोहन मरकाम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में पूर्ण शराब बंदी की घोषणा का उल्लेख नहीं है।

13. श्री उमेश पटेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

बजट में प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री की रोकथाम करने हेतु कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

## मांग संख्या- 22

### नगरीय प्रशासन एवं विकास – नगरीय निकाय

मतदेय राशि

रूपये 27,52,56,000

### बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 18

1. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

नगरीय निकायों में सम्पत्ति कर कम करने का उल्लेख नहीं है ।

2. श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

बोरिया खुर्द (रायपुर ग्रामीण) गजराज तालाब के सौन्दर्यीकरण एवं जल भराव का उल्लेख नहीं है ।

3. श्री सियाराम कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

नगर पालिका, नगर पंचायतों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को आवास के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है ।

4. श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) जांजगीर-चांपा नगर पालिका अंतर्गत हाट बाजार योजना के क्रियान्वयन का कोई उल्लेख नहीं है ।
- (2) जांजगीर-चांपा जिले के नगरीय निकायों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट (कचरा प्रबंधन) की व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं है ।
- (3) जांजगीर-चांपा जिले के नगरीय निकायों में जल आवर्धन योजना अंतर्गत पेयजल की पूर्ति करने का कोई उल्लेख नहीं है ।
- (4) चांपा नगर का गंदा पानी हसदो नदी पर प्रवाहित होने से रोकने व नगरवासियों के पेयजल हेतु हसदो कारीडोर योजना की स्वीकृति का कोई उल्लेख नहीं है ।

5. श्री जनकराम वर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में नगरीय निकायों में सफाई व्यवस्था का कोई प्रावधान नहीं है ।

6. श्री दलेश्वर साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

नगर पंचायत डोंगरगांव में ट्रांजिस्ट हॉस्टल की मांग के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है ।

7. श्रीमती अनिला भेंडिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

नगरीय निकाय क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, भवन विकास कार्य के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

8. श्री गिरवर जंघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के नगरीय निकायों में हो रहे गुणवत्ताहीन निर्माण को रोकने में प्रदेश सरकार विफल रही है।

9. श्री उमेश पटेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) अवैध रूप में निर्मित की जा रही कालोनियों को रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश के शहरों का गंदा पानी निस्तारी तालाबों एवं नदियों में जाने से रोकने के उपायों का उल्लेख नहीं है।

## मांग संख्या – 69

### नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग – नगरीय कल्याण

मतदेय राशि

रूपये 7,30,09,00,000

### बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 30

1. डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) गौरेला नगर पंचायत के अम्बेडकर वार्ड में मुक्तिधाम निर्माण हेतु 20 लाख की स्वीकृति का उल्लेख नहीं है ।
- (2) नगरपालिका रतनपुर में आदिवासी विकास मेला माघ पूर्णिमा में 10 लाख राशि आवंटित करने का उल्लेख नहीं है ।
- (3) कोटा नगर पंचायत में नया बस स्टैंड तथा जय स्तंभ के पास व्यावसायिक काम्पलेक्स निर्माण करने का उल्लेख नहीं है ।
- (4) रतनपुर नगर पालिका में शासकीय धर्मशाला निर्माण करने का उल्लेख नहीं है ।

2. श्रीमती देवती कर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में फायर एण्ड सेफ्टी आगजनी रोकथाम के उपायों का कोई उल्लेख नहीं है ।

3. श्री दलेश्वर साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

नगर पंचायत डोंगरगांव में ड्रेनेज नाली निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है ।

4. श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) नगर पंचायत पेण्ड्रा में 5 अग्नि शमन सेवा भवन बनाने का उल्लेख नहीं है ।
- (2) नगर पंचायत पेण्ड्रा में शासन के मापदण्ड से कम स्वीपर है। रिक्त पदों पर भर्ती करने का कोई उल्लेख नहीं है ।
- (3) नगर पंचायत एवं नगर पालिका अध्यक्ष की वित्तीय अधिकार वापस करने का कोई उल्लेख नहीं है ।

5. श्री गिरवर जंघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) क्षेत्र के नगरीय निकायों अंतर्गत विद्युत की समुचित व्यवस्था एवं स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है ।
- (2) बी.एस.यू.पी. योजना अंतर्गत निर्मित मकानों में गुणवत्तायुक्त बनाने एवं गंदे पानी की निकासी की पर्याप्त व्यवस्था करने का उल्लेख नहीं है ।

## मांग संख्या – 81

### नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

मतदेय राशि

रूपये 20,95,45,40,000

### बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 18

श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश के किसी नगर निगम/नगर पालिका एवं नगर पंचायत को आदर्श नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत बनाने का उल्लेख नहीं है ।
- (2) नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरे पड़े निर्माण को पूर्ण करने का उल्लेख नहीं है ।
- (3) नगर पंचायत पेण्ड्रा में वार्ड 15 में अधूरे पड़े सामुदायिक भवन को पूर्ण करने का उल्लेख नहीं है ।
- (4) नगर पंचायत पेण्ड्रा में पेयजल हेतु स्वीकृत सतोकपुर बांध का निर्माण करने का उल्लेख नहीं है ।
- (5) नगरीय निकायों में कचरा ढोने वाले वाहन पर्याप्त संख्या में प्रदान करने का उल्लेख नहीं है ।
- (6) नगरीय क्षेत्र में घनी बसाहट से दूर बसे विरले क्षेत्र के मोहल्लों में सोलर पम्प से नल-जल योजना का उल्लेख नहीं है ।
- (7) नगरीय क्षेत्र में नवीन गौरव पथ स्वीकृत करने का उल्लेख नहीं है ।
- (8) नगर पंचायत पेण्ड्रा अंतर्गत स्टेडियम बनाने का उल्लेख नहीं है ।
- (9) प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत आबादी भूमि पर काबिज नागरिकों की भूमि पर आवास निर्माण करने का उल्लेख नहीं है ।
- (10) प्रदेश के शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने का उल्लेख नहीं है ।
- (11) नगरीय क्षेत्रों में बरसों से आबादी भूमि में घर बनाकर रह रहे व समेकित व सम्पत्ति कर पटा रहे नागरिकों को आबादी भूमि पट्टा प्रदान करने का उल्लेख नहीं है ।
- (12) सभी नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायतों में एल.ई.डी. लाईट स्वीकृत करने का उल्लेख नहीं है ।

## मांग संख्या – 11

### वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि

रूपये 2,87,69,90,000

### बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 11

1. श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश में फार्मासियूटिकल उद्योगों की स्थापना का प्रावधान नहीं है।
- (2) प्रदेश में लघु वनोपज आधारित उद्योगों की स्थापना का प्रावधान नहीं है।

2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

उद्योगों के सी.एस.आर. मद के व्यय पर नियंत्रण का उल्लेख नहीं है ।

3. श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) औद्योगिक सुरक्षा मानकों का पालन करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश के नवयुवकों को प्रदेश के उद्योगों में रोजगार दिलाने का उल्लेख नहीं है।
- (3) अभनपुर विधान सभा के नगरीय क्षेत्र में अभनपुर में स्थापित जेड श्रेणी के उद्योग नवभारत फ्यूज एवं नवभारत एक्सप्लोसिव को अन्यत्र स्थानांतरित करने का उल्लेख नहीं है।

4. डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

गौरेला विकासखण्ड के अंजनी इंडस्ट्रियल एरिया में प्रोत्साहन राशि तथा आदिवासी क्षेत्र को विशेष छूट देने का उल्लेख नहीं है ।

5. श्री सियाराम कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

स्थानीय लोगों को उद्योग के लिये भूमि प्रदान करने तथा उद्योगों से हो रहे प्रदूषण पर नियंत्रण का उल्लेख नहीं है ।

6. श्री दीपक बैज, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में छोटे व लघु उद्योगों को बढ़ावा देने का उल्लेख नहीं है ।

7. श्री जनकराम वर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

सी.एस. आर. मद की राशि व्यय स्थानीय प्रभावित क्षेत्र में करने का उल्लेख नहीं है ।

8. श्री श्यामलाल कंवर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

रामपुर क्षेत्र के अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम खोडुल के लैंको पावर प्लांट द्वारा भूमि अधिग्रहित की गई किंतु रोड, नाली, पीने का पानी संबंधी व्यवस्था का उल्लेख नहीं है ।

**9. श्रीमती देवती कर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) कारखानों के मालिक की लापरवाही से अग्नि/बिजली आदि दुर्घटना होती रहती है। ऐसी घटना से मृतक के आश्रित को नौकरी दिलाने का उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश के उद्योगों द्वारा छोड़े जा रहे प्रदूषित पानी को रोकने के प्रयासों का उल्लेख नहीं है।

**10. श्री गिरवर जंघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) खैरागढ़ विधान सभा क्षेत्र में उद्योग लगाये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश में उद्योगों द्वारा छोड़े जा रहे प्रदूषित पानी को रोकने के प्रयासों का उल्लेख नहीं है।

**11. श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) सीमेंट एवं स्टील उद्योगों द्वारा लागत मूल्यों से दुगनी कीमत पर स्थानीय निवासियों को सीमेंट बेचने पर रोक लगाने का उल्लेख नहीं है।
- (2) पेण्ड्रा, गौरेला, मरवाही में रोजगार को बढ़ावा देने औद्योगिक परिक्षेत्र की स्थापना करने का उल्लेख नहीं है।
- (3) पलायन कर रहे हजारों मजदूरों को स्थानीय स्तर पर काम प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
- (4) स्थानीय उद्योगों में 90 प्रतिशत नौकरी स्थानीय युवकों को प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
- (5) प्रदेश के 20 लाख बेरोजगार युवकों को रोजगार देने का उल्लेख नहीं है।
- (6) औद्योगिक इकाइयों में नौकरी स्थानीय युवकों को नौकरी कितने प्रतिशत में दी जायेगी इसका उल्लेख नहीं है।
- (7) पेण्ड्रा, गौरेला, मरवाही में औद्योगिक क्षेत्र बनाने का उल्लेख नहीं है।
- (8) राजधानी रायपुर में जहरीली गैस से फेल रहे प्रदूषण को रोकने का उल्लेख नहीं है।
- (9) नई उद्योग नीति के तहत दी जाने वाली सुविधाओं का उल्लेख नहीं है।
- (10) उद्योगों के द्वारा जल का दुरुपयोग किया जा रहा जिसकी मानिट्रिंग करने का उल्लेख नहीं है।

**12. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

जिला बस्तर में औद्योगिक विकास हेतु मक्का कारखाना खोले जाने का उल्लेख नहीं है।

**13. श्री शंकर ध्रुवा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

कांकेर जिला में मक्का प्रोसेसिंग इकाई समेकित उद्योग की स्थापना करने का उल्लेख नहीं है।

**14. श्री मोहन मरकाम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

बस्तर में स्थापित उद्योग में स्थानीय बेरोजगार इंजीनियरों को रोजगार में प्राथमिकता दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

## मांग संख्या – 24

### लोक निर्माण कार्य – सड़कें और पुल

मतदेय राशि

रूपये 34,35,16,61,000

### बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 19

1. श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश में गुणवत्तायुक्त सड़कों के निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (2) अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र के पहुंच मार्गों के डामरीकरण का उल्लेख नहीं है।
- (3) प्रदेश के क्षतिग्रस्त पुल पुलियों के निर्माण हेतु प्रावधान का उल्लेख नहीं है।

2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) जर्जर हो चुकी राजमार्ग की सड़कों के सुदृढीकरण करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश में गुणवत्तायुक्त सड़क निर्माण कराने का उल्लेख नहीं है।

3. श्री अमरजीत भगत, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

सीतापुर में प्रत्येक विकासखंडों अंतर्गत आने वाले पहुंच मार्गों को जोड़कर डामरीकरण का उल्लेख नहीं है।

4. डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) गौरेला-पकरिया-दुर्गाधारा-धर्मपानी-अमरकंटक (इंटर स्टेट) सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (2) अमरकंटक के कबीर चबुतरा में पर्यटन व पी.डब्ल्यू.डी के रेस्ट हाउस के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण करने का उल्लेख नहीं है।

5. श्री भोलाराम साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) ग्राम दादुटोला टोयागोडी से हाड़ीटोला तक डामरीकरण सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (2) ग्राम बांधाबाजार दादुटोला होते हुए चिखली तक डामरीकृत सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (3) ग्राम केरेगांव से बिजेपार के बीच नाले पर पुलिया निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (4) ग्राम हालेकोसा से कोलिहाटोला के बीच नाले पर पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (5) ग्राम पिनकापार से घोघरे के बीच नाले पर पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (6) ग्राम पटानढोंडगी से उतरेंगाटोला के बीच नाले पर पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (7) ग्राम गेंदाटोला में लुटिकसा के बीच नाले पर पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (8) ग्राम घानापायली से कान्हें के बीच नाले पर पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (9) ग्राम शिकारिराहका से पारा के बीच नाले पर पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (10) ग्राम पराराटोला से सोनपानीटोला के बीच नाले पर पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (11) ग्राम बांधाबाजार से चिल्हाटी तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।

- (12) ग्राम पाडेटोला से भोलापुर पहुंच मार्ग का उल्लेख नहीं है।
- (13) बांधाबाजार से तोयागोठी पहुंच मार्ग का उल्लेख नहीं है।
- (14) ग्राम मोतीपुर से चारभाठा तक डामरीकरण सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (15) ग्राम कंटेगाटोला से जोब तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (16) ग्राम बजरंगपुर से जैतगुंडरा तक डामरीकरण सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।

**6. श्री दिलीप लहरिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) मस्तुरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एरमसही से थेम्हापार रोड सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (2) मस्तुरी विधानसभा के अंतर्गत ग्राम बिनौरी से जुनवानी सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (3) ग्राम पंचायत बिटकुला से निदलु पहुंच मार्ग का उल्लेख नहीं है।
- (4) मस्तुरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सोन से सोनसरी के बीच सरारा नाले पर पुल-पुलिया निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

**7. श्री सियाराम कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

बिल्हा विधानसभा के ग्रामीणों के आवागमन हेतु नये सड़क का पुल पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है।

**8. श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) जांजगीर-चांपा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मौहाडीह से भैंसदा में सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (2) जांजगीर-चांपा जिले में ग्राम बोडेसरा से हाथी टिकरा तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (3) जांजगीर चांपा विधानसभा क्षेत्र के करही झगरही से बनारी तक पुल पुलिया सहित सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (4) जांजगीर चांपा के बीच हसदों नदी पर नवीन पुल निर्माण का उल्लेख नहीं है।

**9. श्री उमेश पटेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

प्रदेश के अधिकांश राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग व अन्य पहुंच मार्ग जो अत्यंत जर्जर है के स्थान पर नयी सड़क बनाने का उल्लेख नहीं है।

**10. श्री भैयाराम सिन्हा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) संजारी बालोद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सोंहपुर-निपानी मार्ग पर स्थित जर्जर पुलिया के पुर्ननिर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (2) संजारी-बालोद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पेंवरो-घोघोपुरी मार्ग पर चोरहा नाले पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण का उल्लेख नहीं है।

**11. श्री दीपक बैज, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) चित्रकोट विधानसभा के अलनार से कोडनार तक 10 किमी. जर्जर सड़क के मरम्मत का उल्लेख नहीं है।
- (2) चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत दाबपाल से कोटियागुड़ा सड़क मार्ग के डामरीकरण का उल्लेख नहीं है।

- (3) विधानसभा चित्रकोट क्षेत्र अंतर्गत उदलीबहार नाला ग्राम मेडवा में 30 मीटर पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (4) चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड लोहाण्डीगुडा बंठाजी गांधी चौक से चिहलागुडा, डोंगाघाट तक 3 किमी सड़क के डामरीकरण का उल्लेख नहीं है।
- (5) चित्रकोट विधानसभा के विकासखंड तोकापाल के सिरिसगुडा से गमियापाल सड़क का डामरीकरण का उल्लेख नहीं है।
- (6) चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र के मटनार से भेजा तक 20 किमी. सड़क के डामरीकरण का उल्लेख नहीं है।
- (7) चित्रकोट विधानसभा अंतर्गत जर्जर एवं खराब सड़क मार्ग के मरम्मत एवं डामरीकरण का उल्लेख नहीं है।

**12. श्री श्यामलाल कंवर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) रामपुर क्षेत्र के कोरबा से रजगामार पहुंच मार्ग जर्जर हालत में है । जर्जर मार्ग के मरम्मत का उल्लेख नहीं है ।
- (2) रामपुर विधानसभा के ग्राम परसखेत से मदनपुर तक जर्जर सड़क के पुनर्निर्माण का उल्लेख नहीं है ।
- (3) रामपुर क्षेत्र के कनकी भदेड से कनकी बस्ती तक जर्जर सड़क की मरम्मत का उल्लेख नहीं है ।
- (4) रामपुर विधानसभा के बांधापाली से धिनारा के बीच छिदंकनाका के पुलिया निर्माण कर आवागमन सुगम बनाने का उल्लेख नहीं है ।
- (5) रामपुर विधानसभा क्षेत्र के कुदुमुरा से श्यांग से बीच जर्जर सड़क की मरम्मत का उल्लेख नहीं है ।
- (6) रामपुर विधानसभा क्षेत्र के सड़कों के डामरीकरण का उल्लेख नहीं है।

**13. श्री केशव चन्द्रा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) मुख्यमार्ग से बाजारपारा पिरदा तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है ।
- (2) विधानसभा जैजैपुर के मुख्य मार्ग से डोमाडीह तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है ।
- (3) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के ग्राम ओडेकेरा से जुनवानी सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है ।
- (4) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के ग्राम भोथिया से जारापारा तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है ।
- (5) जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम झालरौंदा से आमापाली तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है ।
- (6) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के भरसिया से बिरा तक सोननदी में पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है ।
- (7) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के धनवारपारा से नावागांव तक बोराई नदी में पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है ।
- (8) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के ग्राम बोड़सरा से करमनडीह तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है ।
- (9) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के ग्राम पिहरीद से पिरदा तक बड़ेरवेली होते हुए सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है ।
- (10) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के ग्राम धमनी से नरियरा तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है ।
- (11) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के ग्राम नगारीडीह से मल्दा तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है ।
- (12) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के ग्राम घोघटी से बरभाठा तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है ।
- (13) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के ग्राम गुचकुलिया से करमनडीह तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है ।
- (14) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के ग्राम पाड़ाहरडी से सेमराडीह होते हुए कलमीडीह तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है ।

- (15) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के मुख्यमार्ग से बरभांठा तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (16) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के सोनसरी (ठठारी) से केरहाचाकर तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (17) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के भोथाडीह से पीपर भांवर तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (18) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर आमगांव से कारीभांवर तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (19) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के मुख्य मार्ग से सलिहाभांठा तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (20) जैजैपुर विधानसभा के मुख्य मार्ग से डेरापारा सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (21) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के ग्राम रनपोटा से झरियाडीपा के मरघट तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (22) जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र के मुख्यमार्ग के लिमतारा से कोटेतरा तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (23) जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम अकलसरा से केकराभाठ तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (24) जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम तुषार से ओड़ेकेरा तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (25) जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बेहराडीह से हरदीडीह तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।

**14. श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) पेण्ड्रा बाइपास सड़क निर्माण हेतु राशि का उल्लेख नहीं है।
- (2) उमरखोई से कोटनीखुर्द पहुंचमार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (3) केवची-गौरेला-पेन्द्रा-मरवाही-कोनबहरा-काटीडोह तक बनाये गये 92 किमी. सड़क के नवीनीकरण का उल्लेख नहीं है।

**15. श्री जनकराम वर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

बलौदाबाजार हेतु अधूरी पड़ी बायपास सड़क निर्माण को पूरा करने का उल्लेख नहीं है।

**16. श्री राजेन्द्र कुमार राय, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र स्थित खर्सा-रौना नदी मार्ग पर पुल निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (2) विधानसभा गुण्डरदेही के ग्राम खर्सा-कचांदुर मार्ग में नाला पर रपटा कम पुल निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (3) गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र के ग्राम अण्डा से रनबिरई, अर्जुदा से ओडारसकर, हरणसिंघी से कसौदा, बीजभांठा से सुरेगांव, मुण्डा-अचौद-भाठागांव, फुंरफांड से भण्डेरा, सबलपुर से कोसमी, पुरदाफोड से केतेरनवांगांव, केलनपुर से सिकोसा, खुंटेरी से कोदवा, नाहंदा से राघोनवागांव, फरदफोड से रानीतराई, करमरी से खामतराई मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (4) गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र के वर्ष 2013-14 में स्वीकृत सड़कों का कार्य प्रारंभ किए जाने का उल्लेख नहीं है।
- (5) गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र को जिला से जोड़ने वाले मार्ग जांमगांव-गुण्डरदेही मार्ग के चौड़ीकरण का उल्लेख नहीं है।
- (6) विधानसभा क्षेत्र के गुण्डरदेही के कचांदुर-कानाकोट मार्ग के चौड़ीकरण का उल्लेख नहीं है।
- (7) गुण्डरदेही विकासखंड के चैनगंज रेल्वे क्रासिंग के पास ओव्हरब्रीज निर्माण का उल्लेख नहीं है।

**17. श्रीमती देवती कर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

समूचे प्रदेश की नक्सल प्रभावित रेल्वे क्रासिंग एवं सड़क मार्ग पर ओव्हरब्रिज अथवा अण्डरब्रीज बनाए जाने का उल्लेख नहीं है ।

**18. श्री चिंतामणी महाराज, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) विकासखंड अंबिकापुर के ग्राम पंचायत पोडिया से खालपारा तक आवागमन हेतु पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है ।
- (2) विकासखंड लुण्ड्रा के ग्राम पंचायत जोरी-बिल्हमा से देवसरा तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है ।
- (3) विकासखंड अंबिकापुर के ग्राम पंचायत सरगंवा से धधली होते सिधमा तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है ।
- (4) लुण्ड्रा विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री एवं पी.डब्ल्यू.डी. से निर्मित सड़क अत्यंत जर्जर है उसकी मरम्मत हेतु उल्लेख नहीं है ।
- (5) लुण्ड्रा विधानसभा क्षेत्र में पहुंच मार्गों के निर्माण का उल्लेख नहीं है ।

**19. श्री दलेश्वर साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

डोंगरगांव में नवीन विश्राम गृह भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है ।

**20. श्री गिरवर जंघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में निर्मित सड़कों की स्थिति सुधारने का उल्लेख नहीं है ।
- (2) प्रदेश में गुणवत्तायुक्त सड़क निर्माण सुनिश्चित करने में का उल्लेख नहीं है ।
- (3) प्रदेश में निर्माणाधीन पुल-पुलिया निर्माण कार्यों में हो रही अनियमितता एवं भ्रष्टाचार को रोकने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है ।
- (4) ग्राम जंगलपुर से खौमा तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है ।

**21. श्रीमती अनिला भेंड़िया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) ग्राम केरी के नालों पर पुलिया निर्माण करने का उल्लेख नहीं है ।
- (2) बंदरचुंआ से संजारी मार्ग पर खरखरा नाले पर पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है ।
- (3) ग्राम धुमादाह से संजारी मार्ग पर खरखरा नाले पर पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है ।
- (4) ग्राम पीपरखार(ख) के खडबत्तर नाले पर पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है ।
- (5) क्षेत्र के पहुंच मार्ग के निर्माण का उल्लेख नहीं है ।
- (6) क्षेत्र के पहुंच मार्गों पर पुल-पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है ।

**22. डॉ. प्रीतम राम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) बलरामपुर जिला में वन विभाग अंतर्गत उलिया से माकड परसागुडी से डिगनगर चोची से भाडरीडांड एवं बांदा से भिलाई कुन्दी से करवां तक वन मार्ग सहित पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है ।
- (2) सामरी विधानसभा क्षेत्र के शासकीय कार्यालयों में आवागमन की सुविधा हेतु पहुंच मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं है ।
- (3) सामरी विधानसभा क्षेत्र में नवीन पुल-पुलिया निर्माण करने का उल्लेख नहीं है ।

- (4) सामरी विधानसभा क्षेत्र के पहुंच विहीन ग्रामों में आवागमन की सुविधा हेतु सड़क सह पुल-पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (5) सामरी विधानसभा क्षेत्र के भवन विहीन स्कूलों में भवन निर्माण कार्यों का उल्लेख नहीं है।
- (6) सामरी विधानसभा क्षेत्र के दुर्गम पहाडी क्षेत्रों में आवागमन हेतु सड़क सह पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (7) सामरी विधानसभा क्षेत्र के मफडोड से महंगाई, नरसिंहपुर से नरकाडांड, त्रिपुरी से गोविंदपुर, देवरी से मदगुरी केजिया से गजाधरपुरके बीच सड़क सह पुल पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (8) सामरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत करकली से भुलसी, दुर्गापुर से जरहाडांड-पतरायेली, भरतपुर से करासी, करासी से कोठली के बीच नदी पर पुल पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (9) वन विभाग अंतर्गत विकासखंड राशंकरगढ़ के चैतपुर से सरंगाजोगी, गेमेला से खरकोना, सेमरतला हेतु जमीन से केजिया जोहाड सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (10) वन विभाग अंतर्गत कुर्सना विकासखंड के सुपदका से जिंगनिया चुड, हैमुरपानी व बोंदपानी से टावर पानी होते सड़क सह पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है।

### 23. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य : एक रुपये की कमी की जावे.

- (1) विधानसभा क्षेत्र बस्तर के विकासखंड बकावण्ड व बस्तर में आवागमन की सुविधा हेतु पुल-पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (2) बस्तर विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड बस्तर के राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 से ग्राम उसरी तक आवागमन हेतु सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।

### 24. श्री संतराम नेताम, सदस्य : एक रुपये की कमी की जावे.

- (1) जामगांव (टिकरापारा) कहरापारा, एटेकोन्हारी मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (2) केशकाल मुक्तिधाम से राधा मार्ग तक पुल पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (3) सुरडिह से मांझीचेरा मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (4) तुतारी लाटापारा बेडमा (आवरी) मार्ग लम्बाई 4 किमी. मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (5) कोपरा से टाटीपारा मार्ग लंबाई 7.00 किमी. तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (6) छदंली से डोडरापाल मार्ग 6.00 किमी. सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (7) खरगांव से जाबुराडिह मार्ग लम्बाई 2.00 किमी. सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (8) विश्रामपुरी से बैजनपुरी मार्ग लम्बाई 4.00 किमी. सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (9) लिहागांव से उडिदगांव मार्ग लम्बाई 4.30 किमी. सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (10) पेण्ड्रावन से हात्मा मार्ग लम्बाई 3.60 किमी. सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (11) लिहागांव से बांसकोट तक 2.10 किमी. भंवरदीग नदी में उच्च स्तरीय सेतु निर्माण लम्बाई 120 मीटर बनाने का उल्लेख नहीं है।
- (12) धनोरा-धुवापारा मार्ग 2.5 किमी. पर घुवापारा नदी पर 90 मीटर सेतु निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (13) लंजोडा से सोड़मा तक मार्ग 3.00 किमी. सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (14) जैतपुरी से कबोंगा मार्ग निर्माण 3.30 किमी. सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (15) कारागांव से सिरसीकलार मार्ग निर्माण 2.80 किमी. सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (16) जैजैपुर विधानसभा के ग्राम अकलसरा से भोथिया तक 4.00 किमी. लम्बी सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (17) भण्डारीपण्डी से कानाडीडिह मार्ग का निर्माण लम्बाई 3.50 किमी. सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (18) खुटपदर से पाडोकी मार्ग लम्बाई 5.00 किमी. सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (19) सिरपुर में बाजार सील पर सी.सी. रोड निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (20) कोरकोटी से खालेबेदी मार्ग लम्बाई 3.00 किमी. तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।

25. श्री बृहस्पत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) रामानुजगंज विधानसभा क्षेत्र में क्षतिग्रस्त पुल पुलियों के निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (2) रामानुजगंज विधानसभा क्षेत्र के पहुंच मार्गों के निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (3) रामानुजगंज विधानसभा क्षेत्र के सड़कों के निर्माण हेतु राशि का उल्लेख नहीं है।
- (4) प्रदेश के गुणवत्तापूर्ण सड़कों के निर्माण कार्य कराने हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।

26. श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) चौकी दोड़के व मुडपार में शिवनाथ नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (2) आदिवासी सूदूर क्षेत्र औधी सीतागांव मार्ग से टाटेकसा मार्ग में शिक्षा एवं आवागमन को बढ़ावा देने हेतु सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (3) गोटाटोला खडगंवा मुख्य मार्ग लम्बाई 92 किमी. के निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (4) मोहला मानपुर मुख्य मार्ग के कढ़ाडी तक पुल पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (5) आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों दल्ली राजहरा, खडगंवा, मुख्यमार्ग से मुरारगोटा पुसेवाड़ा जो आवागमन एवं शिक्षा पहुंच विहीन संवेदनशील क्षेत्र में आवागमन हेतु सड़क एवं पुल पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है।

**मांग संख्या— 67**  
**लोक निर्माण कार्य – भवन**

मतदेय राशि

रूपये 11,59,84,99,000

**बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 19**

**1. श्री सियाराम कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

लोक निर्माण अंतर्गत भवन निर्माण में गुणवत्ताविहीन निर्माण कार्यो को रोकने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

**2. श्री कवासी लखमा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

निर्माणाधीन भवनों में गुणवत्ता एवं मापदंडों की अनदेखी से हो रही दुर्घटनाओं को रोकने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

**3. श्रीमती अनिला भेंडिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

डौंडीलोहारा विधानसभा क्षेत्र में शासकीय भवन एवं कर्मचारी आवास निर्माण का उल्लेख नहीं है।

**4. श्री बृहस्पत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

रामानुजगंज विधान सभा क्षेत्र में भवन विहीन पंचायत भवनों हेतु भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

**5. श्री भोलाराम साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) नगर पंचायत अम्बागढ़ चौकी के कन्या शिक्षा परिसर में बाउन्ड्रीवॉल का निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (2) ग्राम बेलरगोडी में हाईस्कूल भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (3) ग्राम अरजफुण्ड में नवीन प्राथमिक शाला भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (4) ग्राम शिकारिमहका में नवीन प्राथमिक शाला भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (5) ग्राम खुर्सीटिकूल में नवीन प्राथमिक शाला भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (6) ग्राम निगमचुंवा के प्राथमिक शाला भवन में बाउन्ड्रीवॉल निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (7) ग्राम पेन्डलकुही में प्राथमिक शाला भवन में बाउन्ड्रीवाल निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (8) ग्राम लालूटोला के प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला भवन में बाउन्ड्रीवॉल का उल्लेख नहीं है।
- (9) ग्राम शिकारीगटका में प्राथमिक शाला भवन में आहाता निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (10) ग्राम जामनारा के प्राथमिक शाला भवन में बाउन्ड्रीवॉल का निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (11) ग्राम जैतगुण्डरा के प्राथमिक शाला में बाउन्ड्रीवॉल का निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (12) नगर पंचायत अम्बागढ़ चौकी के बालक शासकीय हाईस्कूल में बाउन्ड्रीवॉल निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (13) ग्राम साल्हे में पशु औषधालय भवन का निर्माण का उल्लेख नहीं किया गया है।

- (14) ग्राम गोडलपाटि में नवीन हायर सेकण्डरी स्कूल भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (15) ग्राम खोमा में नवीन प्राथमिक शाला भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (16) ग्राम भण्डारी भरदा में नवीन प्राथमिक शाला भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (17) ग्राम गुण्डरदेही में नवीन ग्राम पंचायत भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (18) ग्राम नांदियाखुर्द में नवीन ग्राम पंचायत भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

**6. डॉ. प्रीतमराम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) विकासखंड शंकरगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मनोहरपुर में अस्पताल भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (2) सामरी विधानसभा क्षेत्र के भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

**7. श्री भैयाराम सिन्हा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) संजारी बालोद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शासकीय हायर सेकण्डरी स्कूल पीपरछेड़ी में नवीन भवन निर्माण हेतु राशि का उल्लेख नहीं है।
- (2) संजारी बालोद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शासकीय बालक हायर सेकण्डरी स्कूल गुरुर में नवीन शाला भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

**8. श्री श्यामलाल कंवर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

रामपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पुकसरी में हाईस्कूल भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

**9. श्री जनकराम वर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) बलौदाबाजार विधानसभा के एम.डी.व्ही. हाईस्कूल में अहाता निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (2) बलौदाबाजार विधानसभा में किसान विकास गृह निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (3) बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र के प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (4) बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र के प्रोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (5) बलौदाबाजार में ब्रिटिस कालीन जर्जर क्लब के स्थान पर नवीन क्लब निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (6) प्री-मैट्रिक अजा/अजजा बालक छात्रावास हथबंद में भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

**10. श्री राजेन्द्र कुमार राय, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) गुण्डरदेही विकासखण्ड मुख्यालय के अत्यंत जर्जर एक मात्र हायर सेकण्डरी स्कूल भवन के मरम्मत हेतु राशि का उल्लेख नहीं है।
- (2) गुण्डरदेही विधानसभा के भवन विहीन उपस्वास्थ्य केन्द्रों हेतु भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (3) गुण्डरदेही के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (4) गुण्डरदेही विधानसभा के भवन विहीन हाई एवं हायर सेकण्डरी स्कूल भद्राकला के लिए भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (5) गुण्डरदेही विकासखंड के भवन विहीन पशु औषधालय भवन निर्माण भरदाकला के लिए भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

**11. श्री चिन्तामणी महाराज, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

विद्यालय भवन, छात्रावास भवन एवं हॉस्पिटल भवन जर्जर है उनके मरम्मत का उल्लेख नहीं है।

**12. श्री दलेश्वर साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) भवन विहीन हाईस्कूल जंतर जारपाड़ी (डोंगरगांव) से अलीवारा सड़क से जोड़ने का उल्लेख नहीं है।
- (2) डोंगरगांव बालक हायर सेकण्डरी स्कूल 50 वर्षों से संचालित है किंतु उक्त छात्रावास हेतु भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (3) हायर सेकण्डरी स्कूल मुसरा हेतु अतिरिक्त कमरा निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (4) सामुदायिक स्वास्थ्य भवन डोंगरगांव के लिए नवीन भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

**13. श्री लालजीत सिंह राठिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

ग्राम पुकूंगा विकासखंड धरमजयगढ़ मे हाईस्कूल भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

**14. श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) पेन्द्रा में मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद भी कन्या हाईस्कूल भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (2) मरवाही विधानसभा क्षेत्र के ग्राम नवांगांव के हायर सेकण्डरी स्कूल हेतु भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (3) मरवाही विधानसभा क्षेत्र के ग्राम दुषाढ़ में हायर सेकण्डरी स्कूल भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (4) मरवाही क्षेत्र के ग्राम वशीताल में हायर सेकण्डरी भवन हेतु राशि का उल्लेख नहीं है।
- (5) विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा आदिवासियों के वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए ग्राम धनौली, मरवाही क्षेत्र में 500 सीटर छात्रावास बनाने का उल्लेख नहीं है।
- (6) भवन विहीन छात्रावासों के लिए नया भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (7) विकासखंड पेन्द्रा के ग्राम कोडगार में नवीन भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (8) कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पेन्द्रा में नवीन भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

**15. श्री केशव चन्द्रा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के अंतर्गत ग्राम छितापहरिया में हायर सेकण्डरी स्कूल भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (2) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के अंतर्गत ग्राम खजुरानी में हायर सेकण्डरी स्कूल भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (3) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के अंतर्गत ग्राम पिरदा में हायर सेकण्डरी स्कूल भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (4) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के अंतर्गत ग्राम ओडेकेरा में हायर सेकण्डरी स्कूल भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (5) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर अंतर्गत ग्राम दतौद में हायर सेकण्डरी स्कूल भवन निर्माण का उल्लेख है।
- (6) विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर अंतर्गत ग्राम कपिस्ता में हाईस्कूल भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

16. श्री दिलीप लहरिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) मस्तुरी विधानसभा क्षेत्र में बस स्टाप (यात्री प्रतीक्षालय) निर्माण का उल्लेख नहीं है ।
- (2) मस्तुरी विधानसभा क्षेत्र के भवन विहीन स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है ।
- (3) मस्तुरी विधानसभा क्षेत्र के भवन विहीन स्कूलों हेतु भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है ।
- (4) मस्तुरी विधानसभा क्षेत्र में भवनविहीन आंगनबाड़ी हेतु भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है ।

17. श्री दीपक बैज, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश के प्राथमिक, माध्यमिक व हाईस्कूल शालाओं में अहाता निर्माण का उल्लेख नहीं है ।
- (2) चित्रकोट विधानसभा अंतर्गत संचालित आई.टी.आई. केन्द्रों के भवन के निर्माण का उल्लेख नहीं है ।
- (3) प्रदेश के भवन विहीन स्कूलों हेतु भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है ।

18. श्री जनकराम वर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) तुलसी (मानपुर) में पशु औषधालय भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है ।
- (2) रसेडा हायर सेकण्डरी हेतु भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है ।
- (3) ग्राम खपराडीह, भरसेला (बड़ा), फरहदा एवं गोरदी में हाईस्कूल भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है ।

मांग संख्या— 76

लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं  
मतदेय राशि रूपये 9,00,00,00,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 19

कोई कटौती प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए है।

## मांग संख्या— 21

### आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि

रूपये 7,77,84,03,000

### बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक— 32

1. श्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण के समुचित समाधान का प्रावधान नहीं है।

2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में बढ़ते प्रदूषण के नियंत्रण करने का उल्लेख नहीं है।

3. श्री कवासी लखमा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में प्रदूषण की समस्या गंभीर है।

4. श्री सियाराम कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

ग्रामीण क्षेत्रों में बेजा कब्जा रोकने तथा गरीबों को आवासीय पट्टा देने का उल्लेख नहीं है।

5. श्री अरुण वोरा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

दुर्ग शहर में प्रदूषण नियंत्रण हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

6. श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

विधायक कालोनी पुरैना, रायपुर में व्याप्त अव्यवस्था दूर करने का उल्लेख नहीं है।

7. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में पर्यावरण प्रदूषण की समस्या के समाधान करने का उल्लेख नहीं है।

8. श्री दीपक बैज, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश में व्याप्त प्रदूषण को दूर करने के उपायों का उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश में प्रदूषण की समस्या को दूर करने का उल्लेख नहीं है।

9. श्री जनकराम वर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में बढ़ रहे पर्यावरण प्रदूषण की रोकने का उल्लेख नहीं है।

10. श्री चिंतामणी महाराज, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

ग्राम पंचायत चंगोरी-अमडत्री गांवों में सैकड़ों क्रेशर है बिहार, झारखण्ड से हजारों की संख्या में मजदूर रहते हैं। किंतु दूरसंचार सुविधा नहीं है। मोबाईल टॉवर लगाने का उल्लेख नहीं है।

11. श्री गिरवर जंघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में तेजी से बढ़ते प्रदूषण के नियंत्रण करने का उल्लेख नहीं है।

12. श्री उमेश पटेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में बढ़ते प्रदूषण के नियंत्रण का उल्लेख नहीं है।

## मांग संख्या— 36

### परिवहन

मतदेय राशि

रूपये 1,11,65,53,000

### बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 8

1. श्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के परिवहन विभाग में अवैध वसूली की रोकथाम का प्रावधान नहीं है।

2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश में ओव्हर लोडिंग वाहनों के सड़क में चलने से रोकने का उल्लेख नहीं है।  
(2) अवैध परिवहन को रोकने का उल्लेख नहीं है।

3. श्री कवासी लखमा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

परिवहन विभाग में अवैध वसूली रोकने का उल्लेख नहीं है।

4. श्री सियाराम कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

वाहनों में सही नम्बर प्लेट नहीं लगने से नंबर नहीं दिखता, सही नम्बर लिखाने, भारी वाहन तथा तीव्र हार्न वाले वाहनों पर प्रतिबंध का उल्लेख नहीं है।

5. श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

औद्योगिक नगर चांपा में ट्रांसपोर्ट नगर स्थापना का प्रावधान नहीं है।

6. श्री जनकराम वर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

अवैध परिवहन रोकने का उल्लेख नहीं है।

7. श्रीमती देवती कर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश की यातायात व्यवस्था सुधारने, सड़क पर समय-समय पर मार्किंग, सिग्नल एवं चौराहों पर सी.सी.टी.वी. कैमरों की व्यवस्था करने का उल्लेख नहीं है।

8. श्री उमेश पटेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश में ओव्हर लोड वाहनों को सड़कों पर चलने से रोकने हेतु कार्यवाही करने एवं नयी जांच चौकी बनाये जाने का उल्लेख नहीं है।  
(2) प्रदेश में सड़क दुर्घटना अनगिनत बेगुनाह लोगों की मौते हो रही है। नियंत्रण करने का उल्लेख नहीं है।

9. श्री गिरवर जंघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) अवैध परिवहन रोकने का उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश में छोटे-छोटे वाहनों के चालकों से अवैध वसूली को रोकने का उल्लेख नहीं है।
- (3) प्रदेश में ट्रेफिक अव्यवस्था के कारण लगातार दुर्घटना में मौत हो रही है जिसे रोकने का उल्लेख नहीं है।

10. श्री चिंतामणी महाराज, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण का उल्लेख नहीं है।

11. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश में यात्री बसों द्वारा बरती जा रही अनियमितता पर अंकुश लगाने उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश में बढ़ रहे यातायात संकट के समाधान करने का उल्लेख नहीं है।
- (3) विधान सभा क्षेत्र बस्तर में विकासखण्ड बकावण्ड एवं बस्तर की पंचायतों में आवागमन की समस्या है, समाधान का उल्लेख नहीं है।

## मांग संख्या – 13

### कृषि

मतदेय राशि

रूपये 12,69,98,32,000

### बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 14

1. श्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश में हरित क्रांति विस्तार योजना के लिए समुचित प्रावधान नहीं है।
- (2) प्रदेश में मसाला उत्पादन एवं विकाय योजना का प्रावधान नहीं है।
- (3) प्रदेश में उद्यानिकी आधारित फल / सब्जियों हेतु अनुदान का प्रावधान नहीं है।
- (4) प्रदेश के किसानों को मुआवजा समुचित एवं सरलीकरण विधि से भुगतान किये जाने का प्रावधान नहीं है।
- (5) प्रदेश के सब्जी उत्पादक किसानों को राहत देने के संबंध में उल्लेख नहीं है।
- (6) किसानों को धान का समर्थन मूल्य 2100 रूपये प्रति क्विंटल दिये जाने का प्रावधान नहीं है।
- (7) किसानों को 300 रूपये प्रति क्विंटल बोनस दिये जाने का प्रावधान नहीं है।
- (8) प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना का प्रावधान नहीं है।

2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) कृषि यंत्रों के अनुदान में भ्रष्टाचार रोकने का उल्लेख नहीं है।
- (2) फसल बीमा का लाभ किसानों को प्रदाय करने का प्रावधान नहीं है।
- (3) किसानों के कर्ज माफी हेतु बजट में प्रावधान नहीं है।

3. श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) खेती के घटते रकबे को रोकने का प्रावधान नहीं है।
- (2) किसानों को बोनस दिये जाने का प्रावधान नहीं है।
- (3) विगत वर्षों से किसानों के लंबित बोनस भुगतान का प्रावधान नहीं है।

4. डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) कोटा, मरवाही क्षेत्र में मसाले (तेजपान), अनार, अमरूद, स्ट्रॉबेरी की खेती को प्रोत्साहन देने की योजना का उल्लेख नहीं है।
- (2) लालपुर शासकीय उद्यान (गौरेला विकासखंड) में भालू से बचाव हेतु बाउण्ड्री वॉल निर्माण की स्वीकृति का उल्लेख नहीं है।

5. श्री सियाराम कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) किसानों को 2100 रूपये समर्थन मूल्य एवं 300 रूपये बोनस देने का प्रावधान नहीं है।
- (2) किसानों को अच्छे किस्म के बीज जो उत्पाद ज्यादा से ज्यादा दे सके, जिससे किसान समृद्धशाली बन सके। इस हेतु किसान आयोग के गठन का उल्लेख नहीं है।

**6. श्री अमरजीत भगत, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) किसानों को धान का बोनस 300 रूपये प्रति क्विंटल एवं समर्थन मूल्य 2100 रूपये दिये जाने का प्रावधान नहीं है।
- (2) सीतापुर मुख्यालय में खाद्य, बीज, भंडार की व्यवस्था की जाने का उल्लेख नहीं है।

**7. श्री कवासी लखमा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

किसानों को 300 रूपये बोनस प्रति क्विंटल दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

**8. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) जिला बस्तर मुख्यालय में सब्जी मंडी प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश के बीपीएल कृषकों को सिंचाई सुविधा हेतु नलकूप खनन बाबत 75 से 80 फीसदी राशि का अनुदान दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (3) जिला बस्तर अन्तर्गत ग्राम आसना के प्रियदर्शिनी उद्यान के संरक्षण एवं विकास का उल्लेख नहीं है।
- (4) विधान सभा क्षेत्र बस्तर के विकासखंड बकावंड में उद्यान विभाग की रोपणी खोले जाने का उल्लेख नहीं है।
- (5) विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत कृषकों की उत्पादित उपज का समय पर भुगतान करने का उल्लेख नहीं है।
- (6) विधान सभा क्षेत्र बस्तर के विकासखंड बस्तर व बकावंड के कृषकों को फसल बीमा राशि दिलाने का उल्लेख नहीं है।

**9. श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) प्रदेश के किसानों की फसलों को समर्थन मूल्य पर खरीदी करने का बोनस दिया जावे।
- (2) प्रदेश में समर्थन मूल्य पर कृषकों की पूरी उपज खरीदी की जाने एवं समर्थन मूल्य 2100 रूपये प्रति क्विंटल किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (3) प्रदेश में किसानों के उत्पाद सही मूल्य दिया जाने की नीति बनाई जावे तथा प्रोसेसिंग यूनिट स्थापना करने का प्रावधान नहीं है।

**10. श्रीमती अनिला भेंड़िया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) कृषकों को धान का बोनस प्रति क्विंटल 300 रूपये देने एवं 2100 रूपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य देने का प्रावधान नहीं है।
- (2) क्षेत्र बागवानी फसलों के लिए ड्रिप सिंचाई पद्धति से सिंचाई सुविधा प्रदान किये जाने का उल्लेख नहीं है।

**11. श्री श्यामलाल कंवर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) किसानों को 300 प्रति क्विंटल धान पर बोनस दिये जाने का प्रावधान किया गया है।
- (2) किसानों को धान का समर्थन मूल्य 2100 रूपये प्रति क्विंटल दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

**12. श्री चिंतामणी महाराज, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) प्रदेश के किसानों को धान का समर्थन मूल्य 2100 रूपये प्रति क्विंटल दिये जाने का प्रावधान नहीं है।
- (2) प्रदेश के किसानों को 300 रूपये प्रति क्विंटल धान का बोनस दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

**13. श्री बृहस्पत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) प्रदेश के किसानों को धान का समर्थन मूल्य 2100 रूपये प्रति क्विंटल दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश के किसानों को 300 रूपये प्रति क्विंटल धान विक्रय का बोनस दिये जाने का प्रावधान नहीं है।

**14. डॉ. प्रीतमराम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) प्रदेश के किसानों को धान का समर्थन मूल्य 2100 रूपये प्रति क्विंटल दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश के किसानों को 300 रूपये प्रति क्विंटल धान विक्रय का बोनस दिये जाने का प्रावधान नहीं है।

**15. श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

प्रदेश के किसानों को 300 रूपये प्रति क्विंटल धान विक्रय का बोनस दिये जाने का प्रावधान नहीं है।

**16. श्री भैयाराम सिन्हा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) प्रदेश के किसानों को धान का समर्थन मूल्य 2100 रूपये प्रति क्विंटल दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (2) किसानों को ब्याजमुक्त दीर्घकालीन ऋण प्रदाय करने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
- (3) अमानक खाद, नकली, दवाई एवं घटिया बीज की आपूर्ति रोकने का प्रावधान नहीं है।
- (4) संजारी बालोद विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत बालोद में कृषि महाविद्यालय की स्थापना किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (5) फसल बीमा की राशि किसानों को शीघ्र प्रदाय किया जा सके इस हेतु नीति का अभाव है।

**17. श्री उमेश पटेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) प्रदेश के किसानों को 300 रूपये प्रति क्विंटल धान विक्रय का बोनस दिये जाने का प्रावधान नहीं है।
- (2) प्रदेश के किसानों को धान का समर्थन मूल्य 2100 रूपये प्रति क्विंटल दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (3) प्रदेश के कृषि आधारित लघु उद्योगों की स्थापना करने का प्रावधान नहीं है।
- (4) प्रदेश के कृषकों को फसल बीमा का लाभ दिलाने का प्रावधान नहीं है।
- (5) प्रदेश में घटिया बीज एवं अमानक रासायनिक खाद वितरण को रोकने का उल्लेख नहीं है।
- (6) प्रदेश के किसानों को सही समय पर खाद एवं बीज उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

**18. श्री दीपक बैज, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) प्रदेश के किसानों को फसल बीमा का लाभ दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (2) चित्रकोट विधान सभा क्षेत्र के किसानों की उत्पादित उपज का समय पर भुगतान करने का उल्लेख नहीं है।
- (3) चित्रकोट विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत विकास खंडों के निस्तारी तालाबों के जीर्णोद्धार करने का प्रावधान नहीं है।
- (4) किसानों को धान का समर्थन मूल्य एवं बोनस दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (5) प्रदेश के किसानों को उत्तम गुणवत्तायुक्त बीज आपूर्ति करने का उल्लेख नहीं है।
- (6) किसानों को धान का समर्थन मूल्य 2100 रूपये करने का उल्लेख नहीं है।
- (7) प्रदेश के सभी कृषकों को निःशुल्क कृषि उपकरण व अन्य सामग्री प्रदाय करने का उल्लेख नहीं है।

**19. श्री केशव चन्द्रा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) किसानों को धान का समर्थन मूल्य 2100 रूपये देने का उल्लेख नहीं है।
- (2) किसानों को 300 रूपये प्रति क्विंटल धान का बोनस दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

**20. डॉ. विमल चोपड़ा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

किसानों को बोनस दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

**21. श्री दिलीप लहरिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

फसल बीमा योजना का उल्लेख नहीं है।

**22. श्री जनकराम वर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) किसानों को 2100 रूपये प्रति क्विंटल धान का समर्थन मूल्य प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) किसानों को 300 रूपये प्रति क्विंटल धान का बोनस दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

**23. श्रीमती देवती कर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

प्रदेश के किसानों को उनके अनाज का उचित मूल्य बोनस दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

**24. श्री गिरवर जंघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) प्रदेश के किसानों को 2100 रूपये समर्थन मूल्य एवं 300 रूपये बोनस दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश में किसानों का कर्ज माफ किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।
- (3) प्रदेश के किसानों पर खाद, बीज, कृषि उपकरण की उपलब्धता बढ़ाये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (4) प्रदेश सरकार घटिया बीज एवं अमानक रासायनिक खाद वितरण को रोकने का प्रावधान नहीं है।
- (5) प्रदेश में कृषि आधारित लघु उद्योगों की स्थापना करने का उल्लेख नहीं है।
- (6) प्रदेश के किसानों को उन्नत बीज एवं खाद उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
- (7) किसानों को ब्याज मुक्त ऋण दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

25. श्री राजेन्द्र कुमार राय, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश के किसानों को धान का समर्थन मूल्य 2100 रूपये दिये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (2) क्षेत्रों में उद्यानिकी फसलों का उत्पादन अधिकाधिक हो रहा है। कोल्ड स्टोरेज भवन निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (3) प्रदेश के किसानों को धान का बोनस दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

26. श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश के किसानों 2100 रूपये समर्थन मूल्य व 300 रूपये बोनस देने का उल्लेख नहीं है।
- (2) मरवाही में कृषि महाविद्यालय खोलने का उल्लेख नहीं है।
- (3) टमाटर उत्पादक कृषकों को उपज का सही मूल्य देने के लिए टमाटर प्रोसेसिंग सेंटर खोलने का प्रावधान नहीं है।
- (4) उद्यानिकी विभाग में ड्रिप एरीगेशन में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने का उल्लेख नहीं है।
- (5) प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने का उल्लेख नहीं है।
- (6) किसानों के धान का एक-एक दाना खरीदने का उल्लेख नहीं है।
- (7) दलहन, तिलहन, उद्यानिकी फसलों के रकबे में वृद्धि किये जाने का उल्लेख नहीं है।

## मांग संख्या – 14

### पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि

रूपये 4,55,95,95,000

### बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 35

1. श्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

पशुधन तस्करी के प्रभावी नियंत्रण हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में पशुचिकित्सालय खोलने का प्रावधान नहीं है।

3. डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी , सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

पकरिया ग्राम पंचायत में पशु प्रजनन केन्द्र में प्रशिक्षण केन्द्र( 50 से 100 बिस्तर) स्वीकृत करने का प्रावधान नहीं है।

4. श्री दलेश्वर साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

डोंगरगढ़ के आलीवारा में नवीन पशुऔषधालय प्रारंभ करने का प्रावधान नहीं है।

5. श्री भोलाराम साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) ग्राम बेरलगोड़ी में नवीन पशु औषधालय खोलने का उल्लेख नहीं है।
- (2) ग्राम उमरवाही में नवीन पशु औषधालय खोलने का उल्लेख नहीं है।

6. श्री गिरवर जंघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

ग्राम सालहेकला में पशु औषधालय खोले जाने का उल्लेख नहीं है।

7. श्री सियाराम कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

उन्नत पशुपालन के लिए ग्रामीणों को स्वाबलंबन बनाने एवं श्वेत क्रांति लाने का प्रावधान नहीं किया गया है।

8. श्री संतराम नेताम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) सहीगांव में पशु औषधालय भवन निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (2) धनोरा में पशु औषधालय भवन निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।

9. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) विधान सभा क्षेत्र बस्तर अन्तर्गत विकासखंड बकावंड व बस्तर में गायों पर नियंत्रण हेतु योजना का उल्लेख नहीं है।
- (2) विधान सभा क्षेत्र बस्तर अन्तर्गत बस्तर विकासखंड के पल्लीचकवा, विकासखंड के लावागांव भोदलई में पशु चिकित्सालय खोलने का उल्लेख नहीं है।

10. श्रीमती अनिला भेंड़िया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

विधान सभा क्षेत्र के पशु औषधालय को पशु चिकित्सालय में उन्नयन किये जाने का उल्लेख नहीं है।

11. श्री उमेश पटेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में पशुओं की अवैध तस्करी एवं गौहत्या को रोके जाने का प्रावधान नहीं है।

12. श्री दिलीप लहरिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

मस्तुरी विधान सभा क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति परिवारों को गाय-बैल वितरित किये जाने का प्रावधान नहीं किया गया है।

13. श्री जनकराम वर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

ग्राम मोहरा, विकासखंड सिमगा में पशु औषधालय खोलने का प्रस्ताव नहीं है।

## मांग संख्या – 16

### मछलीपालन

मतदेय राशि

रूपये 63,26,67,000

### बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 36

1. श्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में मछली उत्पादन के गुणवत्ता पूर्ण योजना एवं उत्पादकों के समुचित प्रशिक्षण का प्रावधान नहीं है।

2. डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) रतनपुर नगर पालिका के 159 तालाबों में नियमानुसार मछलीपालन सोसाइटी द्वारा करने हेतु आवंटन 2-3 वर्ष से बंद है। आवंटन किये जाने का प्रावधान नहीं है।
- (2) मछली बीज व झींगा पालन केन्द्र घोघा और मलनिया जलाशय में निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

3. श्री अमरजीत भगत, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

सीतापुर विकासखंड में मछली पालन मछुआरों को समुचित बढ़ावा दिये जाने हेतु अनुदान का प्रावधान नहीं किया गया है।

4. श्री सियाराम कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के एनीकटों, स्टापडेमों में मछलीपालन को प्रोत्साहन देने के लिए मछली बीज डालने से रोजगार मिलने संबंधी उल्लेख नहीं है।

5. श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) मत्स्य पालकों को उचित समय पर निःशुल्क मत्स्य बीज उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
- (2) अनुसूचित क्षेत्रों में मत्स्य समितियों की लीज राशि को माफ करने का उल्लेख नहीं है।

6. श्री उमेश पटेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के बड़े जलाशयों में मछलीपालन का कार्य स्थानीय मछुआरों को दिए जाने का प्रावधान नहीं किया गया है।

## मांग संख्या – 54

### कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय

मतदेय राशि

रूपये 1,52,70,00,000

### बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 14

1. श्री उमेश पटेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के किसानों को उन्नत रूप से कृषि उत्पादन बढ़ाए जाने हेतु प्रशिक्षण दिये जाने का बजट में उल्लेख नहीं है।

2. श्रीमती अनिला भेंड़िया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

डोंडीलोहारा क्षेत्र के महाविद्यालय में बी.एस.सी. कृषि संचालित किये जाने का उल्लेख नहीं है।

**मांग संख्या – 23**  
**जल संसाधन विभाग**

मतदेय राशि

रूपये 9,79,34,91,000

**बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 31**

1. श्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश में सिंचाई क्षमता की समुचित एवं गुणवत्ता युक्त विकास का उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश में उपलब्ध कृषि क्षेत्र में सिंचाई की समुचित व्यवस्था का प्रावधान नहीं है।
- (3) प्रदेश की निर्मित सिंचाई परियोजनाओं की तकनीकी गुणवत्तायुक्त निर्माण की योजना का प्रावधान नहीं है।

2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

किसानों को रबी फसल हेतु सिंचाई सुविधा देने का उल्लेख नहीं है।

3. डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) ग्राम पंचायत कुरदर, उमरिया, ठांडपथरा, चुनाखोदरा, तवाडबरा, आमाडोब, सरगोड़, चिखलाडबरी, साल्हेगोरी, परसापानी, छुईया, बारीडीह, करहीकदार, करमरा, चुकनीपानी में सिंचाई हेतु पम्प स्वीकृत करने का प्रावधान नहीं है।
- (2) पेण्ड्रा विकासखंड के पीतमपुर ग्राम पंचायत के बमनी नाले पर एनीकट एवं पुलिया निर्माण का प्रावधान नहीं है।
- (3) ग्राम पंचायत बरेरामूडा के माधव जलाशय, ग्राम करवा जलाशय में सुधार करने का उल्लेख नहीं है।
- (4) चांपी जलाशय में नहरों की सीमेंट लाइनिंग व स्लूज़ गेट निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

4. श्री अमरजीत भगत, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

सीतापुर के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक जलाशय का जलसंग्रहण कर किसानों को पर्याप्त जल उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

5. श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) जांजगीर-चांपा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम कोटिया के चिटकी नाले पर एनीकट सह पुलिया निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) जांजगीर-चांपा विधान सभा क्षेत्र के दर्री से महंत के बीच गाड़ाघाट में स्टापडेम सह पुलिया निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (3) जांजगीर-चांपा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम किरित कोकड़ी नाले में स्टापडेम सह पुलिया निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

**6. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) बस्तर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड बकावण्ड व बस्तर के निस्तारी तालाबों के जीर्णोद्धार करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) बस्तर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत स्टापडेमों के रख-रखाव करने का उल्लेख नहीं है।

**7. श्री दीपक बैज, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) चित्रकोट विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत नये एनीकट, स्टापडेम, चेकडेम निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) चित्रकोट विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत नये एनीकट, स्टापडेम, चेकडेम के जीर्णोद्धार करने का उल्लेख नहीं है।
- (3) चित्रकोट विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत सिंचाई तालाबों के माध्यम से सिंचित रकबा का क्षेत्र बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।

**8. श्री दिलीप लहरिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) मस्तूरी विकासखण्ड के नरगोड़ा के जलाशय से समुचित सिंचाई सुविधा प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) मस्तूरी विधान सभा क्षेत्र में समुचित सिंचाई हेतु नवीन जलाशय व नहर निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

**9. श्री श्यामलाल कंवर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) माड़ नदी डायवर्सन योजना की स्वीकृति प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) रामपुर क्षेत्र के ग्राम बबेद के नरदहा में स्टापडेम निर्माण कर सिंचाई सुविधा प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
- (3) वृहद नल-जल योजना के तहत कुदुरमाल एनीकट से ग्राम भैसमा, उरगा, मसान, कुकचोली, जुनवानी, देवरभाठा, कुदुरमाल, बरीडीह, सेमीपाली तथा अन्य ग्राम को पानी उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

**10. श्री दलेश्वर साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) जामरी डायवर्सन/पुरैना जलाशय सेम्मरा जलाशय नहर नाली की लाइनिंग कराने का उल्लेख नहीं है।
- (2) अमलीडीही जलाशय के जीर्णोद्धार एवं विस्तार करने का उल्लेख नहीं है।
- (3) कन्हार डबरी जलाशय का जीर्णोद्धार एवं विस्तार करने का उल्लेख नहीं है।
- (4) शिवनाथ नदी में साकर दहरा के पास तटबंध कार्य कराने का उल्लेख नहीं है।

**11. श्री लालजीत सिंह राठिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) ग्राम चुहकीमार विकासखण्ड धरमजयगढ़ में झांपीनाला में स्टापडेम निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) ग्राम पियाईदरहा विकासखण्ड घरघोड़ा में स्टापडेम कम पुलिया निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

**12. श्री राजेन्द्र कुमार राय, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) जल संसाधन विभाग में कार्यरत श्रमिकों को नियमित करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) तांदुला नदी पर झाम सिकोला-तिलखैरी के समीप बाढ़ नियंत्रण हेतु तटबंध निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (3) विधान सभा गुण्डरदेही के ग्राम फरदफोड के नहर नाली एलायमेंट पुनः निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (4) गुण्डरदेही विधान सभा की जीवनदायनी खरखरा-मोहदीपाठ मुख्य नहर के लाइनिंग कार्य कराने का उल्लेख नहीं है।

**13. श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) नदी जोड़ो योजनांतर्गत हसदेव से अरपा नदी को जोड़ने का उल्लेख नहीं है।
- (2) राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना अंतर्गत हसदेव नदी से अरपा नदी को जोड़ने का उल्लेख नहीं है।

**14. श्रीमती अनिला भेंडिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) डौंडीलोहारा विधान सभा क्षेत्र के अपूर्ण बांध को पूर्ण करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) ग्राम कामता के अपूर्ण बांध का निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (3) डौंडीलोहारा विधान सभा क्षेत्र के किसानों को पर्याप्त सिंचाई सुविधा देने का उल्लेख नहीं है।

**15. डॉ. प्रीतमराम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) सामरी विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई हेतु समुचित व्यवस्था कराने का उल्लेख नहीं है।
- (2) कुसमी विकासखण्ड के अंतर्गत जवाखड़ के पास झुमका नाला में बांध निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (3) सामरी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत नवली एनीकट सह पुलिया, राजपुर उदवहन योजना, हारी के लतापानी, विनायकपुर के पोड़ी व्यपवर्तन, जमहारी नाला, घुहारीखुर्द, टोण्डाडीह के कोयली झरियानाला में बांध निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

**16. श्री चुन्नीलाल साहू (अकलतरा), सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) अकलतरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत बलौदा तहसील में नहरों से सिंचाई की सुविधा प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) अकलतरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मुरली कापन एवं मुड़पार में स्टापडेम निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (3) अकलतरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत सिंचाई कालोनी जवैध खंडहर हो गया जिसके जीर्णोद्धार करने का उल्लेख नहीं है।
- (4) पंतोरा एवं जर्वे सब डिविजन को कोरबा से कार्यपालन अभियंता हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग जांजगीर में संलग्न करने का उल्लेख नहीं है।

**17. श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) मोंगरा बैराज के गौरीटोला से डोंगाघाट तक बनी नहर के फर्सीकरण का उल्लेख नहीं है।
- (2) मोंगरा बैराज जिला राजनांदगांव के भड़सेना, सौनसाय टोला, मांगाटोला, आमाटोला, नैनूटोला, लमटी में नाली का विस्तार करने का उल्लेख नहीं है।
- (3) आदिवासी कृषकों को आत्मनिर्भर बढ़ाने सिंचाई प्रतिशत बढ़ाने हेतु शिवनाथ टाटेकसा पागरी पर एनीकट निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

**18. श्री संतराम नेताम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) निरादिंदली जलाशय के नहर सुधार एवं लाइनिंग कार्य करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) फरारमेटा नाले पर स्टापडेम निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (3) तेन्दूभटा नाले पर स्टापडेम निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (4) पेण्ड्रावन नाले पर स्टापडेम निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (5) बांसकोट नाले पर स्टापडेम निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (6) मोदे नाले पर स्टापडेम निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (7) संजोड़ा उदवहन सिंचाई योजना में पक्की केनाल निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (8) सवाला जलाशय का निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

**19. श्री भैयाराम सिन्हा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

प्रदेश में गुणवत्ताहीन एनीकट एवं बैराज का निर्माण हो रहा है, जिसके नियंत्रण करने का उल्लेख नहीं है।

**20. श्री उमेश पटेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) प्रदेश के नहरों की अत्यंत जर्जर अवस्था है मरम्मत करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश के किसानों को पांच हार्स पावन तक के सिंचाई विद्युत पम्पों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय करने का उल्लेख नहीं है।

**21. श्री केशव चंद्रा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) झालखरौदा वितरक नहर के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम मुड़पार (मालखरौदा ) में स्टापडेम निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (3) जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम धनवारपार बोराई नदी में स्टापडेम निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (4) जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम लखुरी जमड़ीनाला में स्टापडेम निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (5) जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम बोनियापाठ जमड़ीनाला में स्टापडेम निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

**22. श्री मोहन मरकाम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

- (1) कोण्डागांव जिले के बासनी नाला, रांधना पर स्टापडेम निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) कोण्डागांव जिले के संबलपुर, मेगरदरहा, विकासखण्ड कोण्डगांव की नारंगी नदी में स्टापडेम निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

## मांग संख्या – 40

### आयाकट विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि

रूपये 32,62,76,000

### बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 31

1. श्री सियाराम कौशिक, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

नदियों में बने एनीकट स्टापडेम में रोका गया पानी सिंचाई के लिये प्रदान करने तथा नदी किनारे के क्षेत्रों में विद्युत व्यवस्था उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

महानदी में बन रहे एनीकट से किसानों को सिंचाई हेतु पानी देने का उल्लेख नहीं है।

3. डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

ग्राम पंचायत गौरेला-ठांडपथरा, बैगा में प्रायमरी बैगा में छात्रावास के पास एनीकट तथा पकरिया में चिकनिया नाला पर पुलिया निर्माण करने का प्रावधान नहीं है।

4. श्री भोलाराम साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) ग्राम मालडोगरी में एनीकट निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) ग्राम गेरुघाट में एनीकट निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (3) ग्राम बेकाडी में एनीकट कम काजवे निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (4) ग्राम बागद्वार में एनीकट निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (5) ग्राम बनियाटोला में एनीकट निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

5. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) बस्तर विधान सभा क्षेत्र के बकावण्ड व बस्तर के सिंचाई तालाबों के माध्यम से सिंचित रकबा क्षेत्र बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।
- (2) बस्तर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड बकावण्ड व बस्तर के निस्तारी तालाबों के जीर्णोद्धार करने का उल्लेख नहीं है।

6. श्री केशव चंद्रा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र के करनौद एनीकट निर्माण का उल्लेख नहीं है।

7. श्री लालजीत सिंह राठिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) ग्राम कुडेकेला में भागरी नाले पर एनीकट सह पुलिया निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) ग्राम झोगाभौना चीनी नाले पर एनीकट सह नहर निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

8. श्री उमेश पटेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में निर्माणधीन एनीकट व बैराजों में हो रही अनियमितता एवं भ्रष्टाचार पर नियंत्रण का उल्लेख नहीं है।

9. श्रीमती अनिला भेंडिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

कृषकों को सिंचाई सुविधा प्रदान करने एनीकट निर्माण का उल्लेख नहीं है।

10. श्री संतराम नेताम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) मारंगपुरी नाले पर स्टापडेम निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) झुमका नाले पर स्टापडेम निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (3) बालेंगा एनीकट निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या – 45  
लघु सिंचाई निर्माण कार्य

मतदेय राशि

रूपये 5,59,37,09,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 31

श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) पुराने ऐसे स्टापडेम जिनमें गेट नहीं है, उसमें गेट लगाने का उल्लेख नहीं है।
- (2) सभी कच्ची नहरों को पक्की नहर बनाने का उल्लेख नहीं है।

**मांग संख्या – 75**

**जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं**

मतदेय राशि

रुपये 6,99,91,00,000

**बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 31**

श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

नाबार्ड से सहायता प्राप्त सिंचाई परियोजना प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।

**मांग संख्या – 51**  
**धार्मिक न्यास और धर्मस्व**

मतदेय राशि

रूपये 14,25,60,000

**बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 7**

1. डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी : एक रूपये की कमी की जावे.

गौरेला केतवाडबरा में स्थित जलेश्वर धाम एवं सोनमूड़ा के जीर्णोद्धार, अहाता निर्माण, मंदिर निर्माण तथा धर्मशाला हेतु 50 लाख स्वीकृत करने का उल्लेख नहीं है।

2. श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

बस्तर विधान सभा में ग्रामीणों की धार्मिक आस्था केन्द्र मातागुड़ियों की मरम्मत करने का प्रावधान नहीं है।

3. श्री दीपक बैज, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) चित्रकोट विधान सभा में ग्रामीणों की धार्मिक आस्था केन्द्र मातागुड़ियों की मरम्मत करने का प्रावधान नहीं है।
- (2) चित्रकोट विधान सभा में गढ़िया प्राचीन स्मारक, गुमड़पाल शिव मंदिर, छिन्दगांव शिव मंदिर के जीर्णोद्धार एवं मरम्मत करने का प्रावधान नहीं है।